

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिफ़ी 108/2019


पंजीयन दिनांक 29.08.2019

- (1). मोहम्मद फारुख पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (2). मुस्ताक अहमद पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (3). मोहम्मद अल्ताफ हुसैन पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (4). मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (5). फरीदा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (6). हसीना पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुबारिक हुसैन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (7). शाहिदा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुश्ताक अहमद मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (8). शाहीन पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मोहम्मद शकील मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (9). फिरोजा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि आईनुद्दीन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांटगण

बनाम

- (1). शमशुद्दीन पिता इब्राहिम जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (2). रामनिवास पिता सीताराम जाति गाडरी निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (3). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोंडेन्टगण


अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं हिक्की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा  
प्रकरण संख्या 102/1990 प्राथमिक निर्णय एवं हिक्की दिनांक 14.01.1991

- उपरिस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांतगण  
(2). सफराज अहमद- रेस्पोंडेन्ट संख्या 1  
(3). रेस्पोंडेन्ट संख्या 2- बावजूद सूचना अनुपरिस्थित  
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड 3



प्रकरण संख्या-हिक्की 107/2019  
पजीयन दिनांक 29.08.2019

- (1). मोहम्मद फारुख पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (2). मुस्ताक अहमद पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (3). मोहम्मद अल्ताफ हुसैन पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (4). मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (5). फरीदा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (6). हसीना पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुबारिक हुसैन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (7). शाहिदा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मुश्ताक अहमद मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (8). शाहीन पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि मोहम्मद शकील मंसुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (9). फिरोजा पुत्री मोहम्मद गनी पत्नि आईनुद्दीन मंसुरी जाति मुसलमान निवासी

  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांटाण

बनाम

- (1). शमशुद्दीन पिता इब्राहिम जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (2). रामनिवास पिता सीताराम जाति गाडरी निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
- (3). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोंडेन्टाण


अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
विरुद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा  
प्रकरण संख्या 102/1990 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.1991

- उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांटाण
- (2). सरफराज अहमद- रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
  - (3). रेस्पोंडेन्ट संख्या 2- बावजूद सूचना अनुपस्थित
  - (4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 3

निर्णय


दिनांक 27.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 53 व 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा गादोला तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी संख्या 515 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 546 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 611 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 621 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादी के दादा रमजानी खां के समय की होकर पुश्तैनी है। इसके अलावा रमजानी खां के ओर भी जमीने थी। रमजानी खां के देहान्त

  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बाद उक्त कृषि आराजीयात एवं अन्य कृषि आराजीयात के वारिस उनके लड़के हुसैनबक्ष व इब्राहिम हुए। हुसैनबक्ष की जमीने अलग-अलग की जाने से उक्त कृषि आराजीयात केवल इब्राहिम के हिस्से में रही। इस प्रकार उक्त कृषि आराजीयात इब्राहिम की खातेदारी व कब्जे काशत की थी। मौजा गादोला की आराजी संख्या 535 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा जो पुश्तेनी होकर इसमें भी हुसैनबक्ष का आधा हिस्सा बाद में उसके लड़के ने प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार उक्त कृषि आराजीयात इब्राहिम व प्रतिवादी संख्या 3 की शामिलती खातेदारी की होकर इसमें इब्राहिम का आधा हिस्सा शामिलती था। मौजा गादोला की आराजी संख्या 625 रकबा 6 बिस्वा आ0 चाह व आराजी संख्या 775 रकबा 1 बिस्वा जो भी पुश्तेनी होकर इसमें भी इब्राहिम का 1/4 शामिलती हिस्सा है। इब्राहिम का करीब 48 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया उस समय वादी रेस्पोंडेन्ट करीबन 3 साल की उम्र का होकर प्रतिवादी संख्या 1 व अपनी माता शकुरन बाई के साथ रहता था। इसलिए घर का मुखिया प्रतिवादी संख्या 1 होने से उपरोक्त आराजीयात उसके नाम पर दर्ज हो गई जबकि इन पर प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट व प्रतिवादी संख्या 1 व माता शकुरन व बहन सफीया का शामिलती हक हिस्सा व कब्जा है। इसमें मुस्लिम कानून के अनुसार 1/8 हिस्सा माता शकुरन का व 7/20 हिस्सा वादी रेस्पोंडेन्ट का, 7/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व 7/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है। शकुरन का भी अभी अरसा 6 माह हुये देहान्त हो चुका है और उसके वारिस भी वादी रेस्पोंडेन्ट व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हुए इस प्रकार शकुरन का 1/8 हिस्सा जो कि इन आराजीयात में था वो भी वादी रेस्पोंडेन्ट व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मिला। इस प्रकार मौजूदा आराजीयात मुतदाविया में वादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का 2/5 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है और काशत करते चले आ रहे हैं अतः वादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र डिकी फरमाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 3 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताते हुए उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। उक्त पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.12.1990 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया व उक्त राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.01.1991 को प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की। तत्पश्चात विवादित

  
रजिस्टर आपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

द्विषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तलब किया जाकर दिनांक 10.07.1991 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.1991 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.1991 से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान ने प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास हो जाना बताते हुए अलग-अलग प्रथम अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। दोनों अपीलें म्याद बाहर होने से दोनों अपीलों के प्रार्थना-पत्र धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत की हैं।

इस न्यायालय में अपीलांटांगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं उसके पश्चात पारित अंतिम निर्णय व डिक्री की अपीलें प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील कमांक डिक्री 108/2019 व अपील कमांक डिक्री 107/2019 दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टांगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोंडेन्टांगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांटांगण के पिता गनी के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने एक ही पत्रावली कायम कर पत्रावली में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की व उसके पश्चात फर्द बंटवाड़ा तलब किया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जिसके विरुद्ध अपीलांटांगण की ओर से अलग-अलग अपीलें प्रस्तुत हुईं परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व दोनों अपीलों में पक्षकार समान होने से दोनों पत्रावलीयों में एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। दोनों पत्रावलीयों में निर्णय की एक-एक प्रति संलग्न रहे।

दोनों अपीलों के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर दोनों अपीलों में हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर दोनों अपीलों में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर दोनों अपीलों अंदर म्याद शुमार की जाती है।

  
राजेश अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में गनी व अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र दिनांक 17.07.1990 को दर्ज रजिस्टर हुआ। दिनांक 08.01.1991 को दस्तावेज प्रस्तुत हुए। वादपत्र दिनांक 14.01.1991 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मौजा गादोला की आराजी संख्या 515, 546, 611, 621 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा भूमि के संबंध में इस आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित कृषि आराजीयात हुसैनबक्ष, इब्राहिम की पुश्तैनी होकर पैतृक सम्पत्ति है जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 वादी का हक व हिस्सा निहित है। अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान के मध्य दिनांक 17.12.1990 को हुए राजीनामे के अनुसार दिनांक 14.01.1991 को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 गनी का दिनांक 15.10.1990 को स्वर्गवास हो चुका था जिससे गलत व्यक्ति को उपस्थित कर राजीनामा करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजीनामे के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री व उसके पश्चात फर्द बंटवाड़ा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रथमतया अपील म्याद बाहर प्रस्तुत हुई है। गनी की मृत्यु कब हुई है उसके संबंध में अपीलांटगण की ओर से गनी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रतिवादी गनी की तामील हुई है। दिनांक 17.07.1990 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 गनी ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये हैं व उभय पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। उक्त लिखित राजीनामे पर प्रतिवादी संख्या 1 गनी के हस्ताक्षर हैं। उक्त लिखित राजीनामे को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तस्दीक किया है व लिखित राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में कमिश्नर तहसीलदार निम्बाहेड़ा से फर्द बंटवाड़ा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांटगण जो प्रतिवादी संख्या 1 गनी के वारिसान हैं, ने प्रतिवादी संख्या 1 गनी के द्वारा किये गए राजीनामे


राजस्व अपील प्राधिकारी  
मिर्तोइगढ़ (राज.)

से पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की हैं। जो राजीनामे के अनुसार पारित किये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांतगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान है व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 वादी के मध्य अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में लिखित राजीनामा प्रस्तुत हुआ व राजीनामा तस्दीक होकर उभय पक्षकारान के मध्य हुए लिखित व तस्दीकशुदा राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में फर्द बंटवाड़ा लिया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलांतगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार योग्य नहीं



हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांतगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गनी व अन्य रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुआ जिसके आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.12.1990 को उभय पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामा होकर लिखित राजीनामा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जिस पर अपीलांतगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गनी के हस्ताक्षर हैं। उक्त लिखित राजीनामा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.1990 को तस्दीक किया गया। उसके पश्चात राजीनामे के अनुसार दिनांक 14.01.1991 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री में तहसीलदार निम्बाहेड़ा को फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिस पर पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक ने बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए। फर्द बंटवाड़ा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.07.1991 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम

  
राजेंद्र अर्जी प्रोचिक्तारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)


निर्णय व डिक्री उभय पक्षकारान के मध्य हुए लिखित व तरदीकशुदा राजीनामे के अनुसार है। साथ ही अपीलांटगण की यह आपत्ति कि अपीलांटगण के पिता गनी की राजीनामे के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी जबकि पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के तहत अब्दुल गनी के द्वारा दिनांक 28.01.1991 को पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित करवाया है जो अब्दुल सलीम पिता निसार अहमद मुसलमान के पक्ष मे निष्पादित हुआ है। उक्त दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है, ऐसी स्थिति मे अपीलांटगण के पिता अब्दुल गनी दिनांक 28.01.1991 तक जीवित होना प्रमाणित होता है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामे के अनुसार पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय डिक्री विधि सम्मत होने से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपील अपील क्रमांक डिक्री 108/2019 व अपील क्रमांक डिक्री 107/2019 स्वीकार योग्य नहीं है।

फलस्वरुप अपील अपीलांटगण अपील क्रमांक डिक्री 108/2019 व अपील क्रमांक डिक्री 107/2019 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 102/1990 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.1991 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.1991 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की एक-एक प्रति दोनो अपीलों के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे।



  
 (हरिसिंह मीना)  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)  
 चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जापा सीयानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरि सिंह जीना (आर. २०२१०)

अपील सं. 108/2019 /डिक्री

① श्री मोहम्मद फारुख पिला मोहम्मद बगाम  
गनी जाति मुसलमान निवासी  
निम्बोहेड़ा तहसील निम्बोहेड़ा  
जिला चित्तौड़गढ़।

② मुस्तफ़ अहमद पिला मोहम्मद  
गनी जाति मुसलमान निवासी  
निम्बोहेड़ा तहसील निम्बोहेड़ा  
जिला चित्तौड़गढ़।

① श्री राजशुद्धीन पिला इब्राहिम  
जाति मुसलमान पिंजारा निवासी  
गादोला तहसील निम्बोहेड़ा जिला  
चित्तौड़गढ़।

② रागनिवास पिला रतीलाराम जाति  
गादोला निवासी गादोला तहसील  
निम्बोहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

③ राजस्थान सरकार जयिमे भूमिधारी  
तहसीलशर निम्बोहेड़ा तहसील निम्बोहेड़ा  
जिला चित्तौड़गढ़। रसोडेन्ट

-अपीलान्त

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री ३१७७०९९ अदालत, निम्बोहेड़ा दि. 14.01.1991

प्रकरण सं. 102/1990 अन्तर्गत धारा. ३४, ३४.५३, २०३ रा.का.अ. 1955

लिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 27.10.2022 को अपीलान्त की ओर से


अधिवक्ता श्री रसोडेन्ट की ओर से श्री की उपस्थिति में राजस्व अपील

प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपील 2010 अपील क्रमांक डिक्री 108/2019 व अपील क्रमांक डिक्री  
107/2019 अस्थिरा एकी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय  
उपरकण्ड अधिकारी निम्बोहेड़ा प्रकरण संख्या 102/1990 में पारित  
प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14-01-1991 व अंतिम निर्णय व  
डिक्री दिनांक 10-07-1991 मध्यावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्च, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि..... रुपये हैं,  
..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्च..... द्वारा  
दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 27-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

  
श्री हरि सिंह जीना (आर. २०२१०)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 27-10-2022

अपील खर्च : चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्त	रूपये	रसोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

सेवामें,

- ③ मोहम्मद अल्लाफ हुसैन पिला  
मोहम्मद गनी जाहि मुसलमान  
निवासी निम्बाहेडा तहसील  
निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ ।
- ④ मोहम्मद रिजवान पिला मोहम्मद  
गनी जाहि मुसलमान निवासी  
निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा  
जिला चित्तौड़गढ ।
- ⑤ फरीदा पुत्री मोहम्मद गनी घालि  
अब्दुल रहमान जाहि मुसलमान  
निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा  
जिला चित्तौड़गढ ।
- ⑥ हसीना पुत्री मोहम्मद गनी पालि  
मुबारिक हुसैन मंसुरी जाहि  
मुसलमान निवासी निम्बाहेडा  
तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ ।
- ⑦ शाहिदा पुत्री मोहम्मद गनी पालि  
मुस्ताफ अहमद मंसुरी जाहि मुसलमान  
निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा  
जिला चित्तौड़गढ ।
- ⑧ शाहीन पुत्री मोहम्मद गनी पालि  
मोहम्मद शकील मंसुरी जाहि मुसलमान  
निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा  
जिला चित्तौड़गढ ।
- ⑨ फिरोजा पुत्री मोहम्मद गनी पालि  
आइनुद्दीन मंसुरी जाहि मुसलमान  
निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा  
जिला चित्तौड़गढ ।



दीप  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)